Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जिला बून्दी में पटवारी विजेन्द्र कुमार 20,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 03 जुलाई, गुरूवार । ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बून्दी इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी विजेन्द्र कुमार हाल पटवारी हल्का पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवां जिला बून्दी को परिवादी से जमीन का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में 20,000/- **रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव (कार्यवाहक महानिदेशक, एसीबी) ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बून्छी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी विजेन्द्र कुमार पटवारी पटवार मण्डल सुवानिया द्वारा परिवादी से जमीन का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में 50,000/- रूपये की रिश्वत मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था।

जिस पर एसीबी रेंज कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कयाल** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी बून्दी के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचन्द** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन लाल निवासी ग्राम बिरनवास थाना माडन जिला कोटपुतली बहरोड़ हाल पटवारी हल्का पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवां जिला बून्दी को परिवादी से जमीन का नामान्तरण दर्ज कराने की एवज में 20,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।